भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
08.12.2021 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1831 का उत्तर

लाइसेंस-प्राप्त वेंडर्स के लिए सुविधाएं

1831. श्री लल्लू सिंह:
श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) **रेल प्रशासन द्वारा कोविड महामारी के दौरान रेलवे स्टेशनों पर खानपान संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाले लाइसेंस-प्राप्त विक्रेताओं को उपलब्ध कराई गई सुविधाओ का ब्यौरा क्या है;**

(ख) **क्या सरकार को इस संबंध में 'अखिल भारतीय रेलवे खान-पान लाइसेंसधारी कल्याण संघ' से कोई मांग पत्र प्राप्त हुआ है; और**

(ग) **यदि हां, तो उक्त संघ द्वारा की गई मांगों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है?**

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क): कोविड महामारी के दौरान लाइसेंसशुदा वेंडरों को उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार हैं:

(i) **सभी खानपान और वेंडिंग ठेकों की गैर-परिचालनिक अवधि को अप्रत्याशित घटनाक्रम के अंतर्गत 'अकार्य दिवस' के रूप में माना जाएगा और अनुबंध तदनुसार ठेके की अवधि को बढ़ाया जाएगा।**

(ii) **यात्री यातायात की मात्रा में कमी को देखते हुए सभी खानपान और वेंडिंग स्टालों की लाइसेंस फीस में राहत पर विचार किया गया है और क्रियान्वित किया गया है।**

(iii) सभी खानपान/वेंडिंग ठेकों के लिए निष्पादन प्रतिभूति को मौजूदा 10 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया है।

(ख) और (ग): जी हां। अखिल भारतीय रेलवे खानपान लाइसेंसी वेलफेयर एसोसिएशन ने कोविड संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए राहत की भी मांग की है जिसकी जांच की गई है और उपरोक्त मद (क) अनुसार क्रियान्वित किया गया है।

*****